



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2999-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि-2018-74/2013

दिनांक: 18 अगस्त, 2018

निदेशक
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय:- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृति पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02 प्रतिशत की दर से दिये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य), अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-11/2018/सा- 3-271/दस-2018-301/2000 टी०सी, दिनांक 23.04.2018 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 05 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 07 प्रतिशत हो गई है।

2. उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
1.	01 जनवरी, 2018	02 प्रतिशत	07 प्रतिशत

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे या आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में मान लिया जायेगा।

4. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

5. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू०सी/राविप-औ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/कोषागारों द्वारा यथा स्थिति के अनुसार, अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त बिन्दु-01 से 04 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या : 2999(1) -पारे0अनु0-16/पाकालि/18-74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

हृदय प्रकाश

(हृदय प्रकाश)

अधिशासी अभियन्ता